न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 86/2020
CMS NO. : 2020/00127

-: प्रार्थीया :- बनाम -: अप्रार्थी :-

1. मैना देवी पत्नी उगराराम जाति माली निवासी आ. कालू तहसील जैतारण

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला- पाली (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 14/07/2020

उपस्थितः- 1. श्री श्यामलाल तंवर,अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/03/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की खरीदशुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आ.कालू प्रथम पटवार हल्का आ.कालू प्रथम भु अभिलेख निरीक्षक आ.कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज. में खसरा संख्या 957 रकबा 14-04 बीघा किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जिसकी नकल जमाबन्दी एवं ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। प्रार्थीया की जमीन के पडौस में सरकारी जमीन व अन्य खातेदारान् की कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थीया की भूमि रिकॉर्ड अनुसार मौके पर नही है इसलिए प्रार्थीया अपनी भूमि की पेमाईस करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। जिसका निवेदन को तहसीलदार जैतारण को किया गया तो तहसीलदार जी ने सीमांकन का आदेश किया एवं दिनांक 02.02.2019 को सीमांकन कर मौका फर्द बनायी जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। उसके बाद प्रार्थीया ने दिनांक 23.06.2020 व उससे पहले भी कई बार तहसीलदार जी को पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया व कहा कि एस डी एम कोर्ट से आदेश करवाओ। प्रार्थीया की जमीन सरहद मौजा आ.कालू में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। इस हेतू यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पैमाईस का सम्पूर्ण खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय दिनांक 20.09.2021 पेश कर जाहिर किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 957 रकबा 14-04 बीघा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थीया की भूमि का नियमानुसार सीमांकन करवा दिया गया है। जिसे ... स्वीकार किया गया है।

पत्रावली एवं संलग्न ... अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 6 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण के ग्राम आ.कालू में स्थित स्त आराजी प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिसके सीमांकन हेतू ीलदार जैतारण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सीमांकन कार्यवाही क 02.02.2019 को की गई। लेकिन मौके पर सीमा चिह्न नही होने के कारण रगढी नही हो सकी। अतः पत्थरगढी करवाने का आदेश करावे।

तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का समर्थन ने हुए कथन किया कि प्रार्थीया की आराजी का सीमांकन मौके पर करवा दिया गया प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की खातेदार है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी एवं इससे लगते ारान् की भूमि का नक्शा ट्रेस व सीमांकन मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि र्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में न तो यह स्पष्ट किया है कि उसका किन-किन खातेदारान् साथ सीमा विवाद है। तथा न ही वादग्रस्त आराजी के पड़ौसी के खेत के खातेदारान् पक्षकार संयोजित किया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रभावित पक्ष को सुने बिना ल प्रार्थीया के कथनो पर न तो विश्वास किया जा सकता है तथा न ही ऐसे प्रभावित की अनुपस्थिति में कोई सारवान आदेश किया जा सकता है। प्रार्थीया द्वारा केवल सीलदार जैतारण को अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया है जबकि तहसीलदार की ओर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही पूर्व में करवाई जा चुकी है। अतः हस्तगत प्रार्थना भलीभांति साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत रा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नही होनें एवं ारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर ख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)